

न्यायालय : प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक- २१.४४

शिवपुरी दिनांक-09.09.2026

--: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश :-

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0, नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह सितम्बर-अक्टूबर, 2026 में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील मुख्यालय कोलारस के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाती हूँ :-

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	माह सितम्बर-अक्टूबर 2026 के पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1.	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी	शिवपुरी	20-09-2026 02-10-2026 03-10-2026
2.	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी	शिवपुरी	14-09-2026 17-10-2026 18-10-2026 19-10-2026
3.	श्रीमती प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी	शिवपुरी	27-09-2026 04-10-2026 10-10-2026 11-10-2026
4.	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी	शिवपुरी	13-09-2026 25-09-2026 (स्थानीय अवकाश) 20-10-2026 21-10-2026 25-10-2026
5.	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	14-09-2026 25-09-2026 (स्थानीय अवकाश) 17-10-2026 18-10-2026 20-10-2026

6.	श्रीमती प्रीति पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	20-09-2026 11-10-2026 19-10-2026 21-10-2026
7.	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	13-09-2026 27-09-2026 02-10-2026 03-10-2026 04-10-2026 10-10-2026 25-10-2026

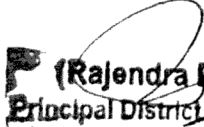
नोट :-

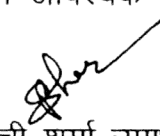
01. रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांक की मुख्यालय अनुमति स्वीकृत नहीं की जायेगी, जब तक कि अत्यधिक अनिवार्य परिस्थिति न हो। यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।
02. माह सितम्बर-अक्टूबर 2026 में किसी कार्य दिवस को अवकाश घोषित किये जाने की दशा में तथा पूर्व से घोषित ऐसे स्थानीय अवकाश बाबत या अन्य किसी प्रकार के अवकाश बाबत जिसके बारे में इस आदेश में उल्लेख नहीं हो सका है, उसके संबंध में जिला न्यायालय शिवपुरी में उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन श्री धर्मवीर सिंह राठौर, जे0एम0एफ0सी0 शिवपुरी के द्वारा एवं न्यायालय कोलारस में श्रीमती रजनी मीरोठा, जे0एम0एफ0सी0 कोलारस द्वारा के द्वारा किया जावेगा।
03. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करते हैं एवं अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब अंतिम विकल्प के रूप में उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी का

निष्पादन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जावेगा जो कि मूल आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 अथवा उक्त दिनांक को प्रभावी आदेश के अनुसार उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

04. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादित किया जावेगा।
05. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा एवं उक्त दौरान उस न्यायिक मजिस्ट्रेट का समस्त स्टाफ उपस्थित रहेगा।
06. रिमांड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट के लिये यह आवश्यक होगा कि अर्जेंट कार्य अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति में वे ड्यूटी दिनांक को आवश्यक रूप से अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें।

अनुमोदित


(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

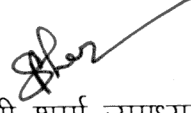

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.

पृष्ठांकन क्र० ...853

दिनांक 10.09.2026

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

01. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी एवं कोलारस की ओर पालनार्थ प्रेषित।
02. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, शिवपुरी एवं कोलारस की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बाबत।
04. निज सहायक, न्यायालय मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, शिवपुरी एवं कोलारस की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम शिवपुरी की ओर से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.